

**न्यायालय: श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 192 / 2007
संस्थान दिनांक 24.05.2007

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द ठीकरी,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

वि रु द्ध

हरदीपसिंह पिता जोगेन्द्रसिंह, आयु - 48 वर्ष
निवासी- सी/6, नानक नगर, इन्दौर

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 11.02.2016 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 82 / 2007 अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 24.05.2007 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त हरदीपसिंह के विरुद्ध दिनांक 22.03.2007 को रात्रि 11:30 बजे, ए.बी.रोड़ ग्राम सेगवाल फाटे के पास सार्वजनिक मार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.सी- 8148 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर टेम्पों ट्रेवलर क्रमांक आर.जे. 20-पी. 3612 को टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापन्न करने, आहतगण अंजली, विकास, हेमंत, जयसिंह, वर्षा, सुचिता व अमन को उपहति कारित करने, आहतगण राजेश वर्मा व राजेश मोर्य को गंभीर उपहति कारित करने तथा मधु, सरोज एवं विजय की ऐसी मृत्यु कारित करने, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में धारा 279, 337 (7 शीर्ष), 338 (2 शीर्ष) एवं 304-ए (3 शीर्ष) भा.द.सं के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त ने वाहन टक क्रमांक एम.पी. 09 के. सी. 8148 का मेकैनिकल जॉच प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 भी सही होना स्वीकार किया है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 22.03.2007 को फरियादी गुलशन खान उसके वाहन टेम्पो ट्रेवलर क्रमांक आर.जे. 20 पी- 3612 से शिर्डी से इन्दौर जा रहा था, वाहन में लगभग 14 सवारियों बैठी हुई थी, जैसे ही वह ग्राम सेगवाल फाटे से आगे पहुँचा कि इन्दौर तरफ से आ रहे वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.09 के.सी. 8148 के चालक ने ट्रक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर फरियादी गुलशन के वाहन को टक्कर मार दी, जिससे वाहन में बैठे मधु, सरोज एवं विजय को चोंटें आकर उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी तथा वाहन में बैठी अन्य सवारियों को भी चोंटे कारित हुई। पुलिस ने फरियादी गुलशन खान द्वारा घटना की मौखिक रूप से दी गई सूचना के आधार पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.सी. 8148 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 82/2007 अंतर्गत धारा 279, 337, 304-ए भा0द0सं0 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 8 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी गुलशन की निशांदाही पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 25 बनाया, मृतक मधु, सरोज व विजय के शव संबंध में साक्षियों को क्रमशः प्रदर्शपी 2 से लगायत 4 के सफीना फार्म जारी कर क्रमशः प्रदर्शपी 5 लगायत 7 के नक्शा लाश पंचायतनामें बनाये, साक्षियों के समक्ष अभियुक्त हरदीपसिंह से वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.सी. 8148 मय प्रपत्र जप्त कर प्रदर्शपी 27 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष वाहन क्रमांक आर.जे. 20 पी.-3612 में हुए नुकसान का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 26 बनाया। अनुसंधान के दौरान ही पुलिस ने फरियादी गुलशन, साक्षीगण वर्षा, राजेश, विपिन, सचिता, अमन एवं राजेश पिता जगदीश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री विवेक श्रीवास्तव, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 (7 शीर्ष), 338 (2 शीर्ष) एवं 304-ए (3 शीर्ष) भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.03.2007 को रात्रि 11:30 बजे, ए.बी. रोड़ ग्राम सेगवाल फाटे के पास सार्वजनिक मार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.सी.-8148 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर टेम्पो ट्रेवलर क्रमांक आर.जे. 20-पी. 3612 को टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2 क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को चलाकर टेम्पों ट्रेवलर क्रमांक आर.जे. 20-पी. 3612 को टक्कर मारकर आहतगण अंजली, विकास, हेमंत, जयसिंह, वर्षा, सुचिता व अमन को उपहति कारित की ?

3 क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर टेम्पों ट्रेवलर क्रमांक आर.जे. 20-पी. 3612 को टक्कर मारकर आहतगण राजेश वर्मा एवं राजेश मौरे को गंभीर उपहति कारित की ?

4. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर टेम्पों ट्रेवलर क्रमांक आर.जे. 20-पी. 3612 को टक्कर मारकर मधु, सरोज एवं विजय की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ? यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में अशोक वर्मा (अ.सा.1), अखिलेश (अ.सा.2), मनोज (अ.सा.3), निरीक्षक उमेशचंद तिवारी (अ.सा.4), विनोद मोरे (अ.सा.5), राजेश मोरे (अ.सा.6), फरीदा (अ.सा.7), विपिन (अ.सा.8), राजेश वर्मा (अ.सा.9), अमन वर्मा (अ.सा.10), डॉ. अनिता सिंघारे (अ.सा.11), सविता चौधरी (अ.सा.12) एवं प्रभाशंकर द्विवेदी (अ.सा.13) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चारों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त चारों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में अखिलेश (अ.सा.2) का कथन है कि विजय उसका भाई था तथा मधु एवं सरोज उसकी छोटी बहन थी तथा वे सभी परिवार के लोगों के साथ 10 से 12 दिन के टूर पर रामेश्वरम् मित्र की वाहन से गये थे, वापस आते समय वाहन का ठीकरी के पास दुर्घटना हो गई। उसे फोन से सूचना मिली तो वह ठीकरी आया और उसने देखा कि विजय, मधु एवं सरोज की ठीकरी अस्पताल में रखी थी। पुलिस ने उनकी लाश का पंचनामा तथा लाश पंचायतनामा प्रशर्दापी 2 से 7 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने लाशों को उसके सुपुर्द की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने हस्ताक्षर अस्पताल एवं थाने पर किये थे।

8. मनोज असा 3 ने भी उसे दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने से पंचनामा प्रदर्शपी 2 से 7 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। विनोद मोरे असा 5 ने भी मधु वर्मा, सरोज एवं विजय की लाशों के पंचनामों प्रदर्शपी 2 से 7 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि 3 वर्ष पूर्व ठीकरी के आगे फाटे पर दुर्घटना हुई थी।

9. राजेश मोरे असा 6 का कथन है कि वर्ष 2007 रात्रि लगभग 11:30 बजे वे लोग टेम्पों ट्रेवलर्स से शिर्डी से वापस इन्दौर आ रहे थे, उनके वाहन में 10-12 सवारी बैठी थी। उनका वाहन सही दिशा में चल रहा था। ठीकरी के पास एक ट्रक वाला उसके वाहन को तेज गति से चलाकर लाया और उनके वाहन का टक्कर मार दी थी, जिससे वाहन में बैठी सभी सवारियों को चोटें आई थी। उसे उस ट्रक का नम्बर याद नहीं है। दुर्घटना में उसे पैर एवं सीधे हाथ में चोटें आई थी। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि वे लोग जिस वाहन में बैठे थे, उसका क्रमांक टेम्पों ट्रेवलर क्रमांक आर.जे. 20-पी. 3612 था तथा सामने से आ रहे ट्रक के चालक ने अपना वाहन तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर उनके वाहन को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने टक्कर मारने वाले वाहन का क्रमांक एम.पी. 09 के.सी. 8148 भी पुलिस को बताना स्वीकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना 23 मार्च की है। साक्षी ने स्वीकार किया कि जहाँ दुर्घटना हुई वहाँ रोड़ समतल था। साक्षी ने यह सुझाव भी स्वीकार किया कि पुलिस ने उससे पूछताछ ठीकरी अस्पताल में की थी।

10. विपिन अ.सा. 8 का भी कथन है कि वर्ष 2007 में वह अपनी पत्नी वर्षा, मधु, सरोज, विजय तथा उसके मामा राजेश, अमन योगेश, मंजु आदि टेम्पों ट्रेवलर्स वाहन में शिर्डी गये थे, वहाँ से वापस आते समय ठीकरी से पहले रात्रि लगभग 11:30 बजे इन्दौर की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी थी, जिससे उनका वाहन पलटी खा गया था। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने वाहन की टक्कर मारने वाले ट्रक का क्रमांक नहीं देखा था और वाहन चालक को भी नहीं देखा था। दुर्घटना में मधु, विजय एवं सरोज की मृत्यु हो गई थी तथा उसे राजेश, राजेश मोर्य, जयसिंह एवं सविता को गंभीर चोटें आई थी। अभियोजन की ओर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को अपने कथन प्रदर्शपी 9 में ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.सी. 8148 के चालक द्वारा तेज गति एवं लापरवाही द्वारा वाहन चलाकर टक्कर मारने की बात बताई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे ट्रक का क्रमांक याद नहीं है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना के समय उसने पुलिस को ट्रक का क्रमांक बता दिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि ट्रक का चालक कौन था उसका नाम क्या था इसकी भी उसे जानकारी नहीं है।

11. राजेश वर्मा असा 9, अमन वर्मा असा 10 एवं सविता चौधरी असा 12 ने भी उक्त टेक्पों ट्रेवलर्स में बैठे होने और उनके वाहन को सामने से आ रहे ट्रक चालक द्वारा टक्कर मारने के संबंध में और उन्हें चोटें आने के संबंध में कथन किये हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी राजेश वर्मा असा 9 ने अपने वाहन का क्रमांक आर.जे. 20 पी. 3612 और टक्कर मारने वाले ट्रक का क्रमांक एम.पी. 09 के.सी. 8148 होना स्वीकार किया है। अमन वर्मा ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को उक्त ट्रक नम्बर प्रदर्शपी 11 में बताया था या नहीं। सविता चौधरी असा 12 ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 24 में टक्कर मारने वाले ट्रक का क्रमांक एम.पी. 09 के.सी. 8148 द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से उनके वाहन को टक्कर मारने की बात बताई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में राजेश वर्मा असा 9, अमन वर्मा असा 10 ने स्वीकार किया कि उसे ट्रक का क्रमांक याद नहीं व ट्रक चालक का नम्बर भी याद नहीं है।

12. अशोक वर्मा असा 1 का कथन है कि उसने दिनांक 22.03.2007 को थाना ठीकरी में जप्त ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.सी. 8148 का मैकेनिकल परीक्षण करने पर उसमें कोई खराबी नहीं होना पाई थी। साक्षी ने उसका यांत्रिकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 भी प्रमाणित किया है। उमेशचन्द्र तिवारी असा 4 ने दिनांक 23.03.2007 को उसने थाना ठीकरी में फरियादी गुलशन की रिपोर्ट के आधार पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.सी. 8148 के चालक के विरुद्ध तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चलाकर उसके वाहन को टक्कर मार दी थी और उसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में प्रदर्शपी 8 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी ने उसे कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी अथवा उसने मन से रिपोर्ट लेखबद्ध की थी।

13. फरीदा असा 7 ने पंचनामा प्रदर्शपी 2, 3 5 एवं 6 पर अपने अंगूठे लगाना स्वीकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अंगूठा लगाने के पूर्व उसने उक्त दस्तावेजों को पढ़ा नहीं था।

14. डॉ. अनिला सिंगारे असा 11 का कथन है कि दिनांक 23.03.2007 को उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में आहत अंजली पिता जयसिंह आयु 7 वर्ष, जयसिंह पिता मंशाराम, आयु 40 वर्ष, वर्षा पति विपिन आयु 30 वर्ष, सुचिता पति विजय आयु 40 वर्ष, राजेश पिता हीरालाल का मेडिकल परीक्षण करने पर उन्हें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से चोटें होना पाया था। साक्षी ने आहत जयसिंह और राजेश पिता हीरालाल को एक्सरे की सलाह देना भी बताया है तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 12 से 16 प्रमाणित किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने उक्त दिनांक को मधु पति राजेश आयु 22 वर्ष, विजय पिता छोटेलाल आयु 36 वर्ष तथा सरोज पति जयसिंह के शव का परीक्षण किया था और उनकी मृत्यु शरीर में आई चोटों के कारण पाई थी। साक्षी ने शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 17 से 29 भी प्रमाणित किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने आहत राजेश की एक्सरे प्लेटों का अवलोकन करने पर उसके दाहिने हाथ की रेडियस अल्ना हड्डी एवं बायें पैर की फीबुला हड्डी में अस्थि भंग होना पाया था तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 20 से 23 भी प्रमाणित किया है।

15. प्रभाशंकर द्विवेदी असा 13 का कथन है कि दिनांक 23.03.2007 को वह थाना ठीकरी में थाने के अपराध क्रमांक 82/2007 की विवेचना के दौरान गुलशन की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 25 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मधु, सरोज एवं विजय के शव के पंचनामों बनाने हेतु प्रदर्शपी 2 से 4 का सफीना फार्म जारी किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने विजय, मधु एवं सरोज के शव का पंचायतनामा प्रदर्शपी 5 लगायत 7 बनाया था जिनके डी से डी एवं ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने वाहन टेम्पों ट्रेवलर्स क्रमांक आर.जे. 20 पी. 3613 का नुकसानी पंचानामा प्रदर्शपी 26 का बनाया था। उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त के थाने पर पेश करने पर ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.सी. 8148 दस्तोवजों सहित एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 27 के अनुसार जप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि साक्षी विपिन, सविता एवं कमल तथा राजेश ने उसे ट्रक का क्रमांक एवं ट्रक चालक का नाम अपने कथनों में नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने उक्त कथन अपनी मर्जी से लेखबद्ध किये थे।

16. प्रकरण के फरियादी गुलशन के अदम पता होने के कारण न्यायालय द्वारा उसे दिनांक 14.02.2012 को अदम पता घोषित किया गया और उसका परीक्षण नहीं करवाया गया। परीक्षित किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर टक्कर मारने वाले ट्रक का क्रमांक तथा उक्त ट्रक का चालक अभियुक्त होने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.सी. 8148 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया। यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.सी. 8148 की टक्कर टेम्पो ट्रेवलर्स क्रमांक आर.जे. 20 पी. 3612 को मारकर उसमें बैठे राजेश वर्मा, राजेश मोर्य को गंभीर उपहति, अंजली, विकास, हेमंत, जयसिंह, वर्षा, सूचिता एवं अमन को उपहति तथा मधु, विजय एवं सरोज की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार अभियोजन अपना मामाला अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

17. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित चारों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुए धारा 279, 337 (7 शीर्ष) एवं 338 (2 शीर्ष) एवं 304-ए (3 शीर्ष) भा0द0सं0 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.सी. 8148 को दिनांक 30.03.2007 को उसके पंजीकृत स्वामी हरदीपसिंह पिता जोगेन्द्रसिंह, निवासी—सी/6 नानक नगर, इन्दौर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी